न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 154/2017

अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. जंगीर सिंह
2. मनजीत सिंह
3. महेन्द्र सिंह
4. वीर सिंह
5. छिन्द्रपाल सिंह
6. जीत सिंह

पुत्रगण स्वर्गीय श्री हरबंस सिंह अकवाम कम्बोजसिख निवासी चक 1 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

7. चरण कौर पत्नी दीदार सिंह पुत्री स्वर्गीय श्री हरबंस सिंह जाति कम्बोज सिंह निवासी चक 24 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

.....वादीगण

बनाम

1. सरजीत सिंह
2. रणधीरसिंह
3. सुरेन्द्रसिंह
4. मोहनसिंह

पिसरान स्वर्गीय श्री गुरबचन सिुंह अकवाम कम्बो सिख निवासी चक 1 सी छोटी तह0 व जिला श्रीगंगानगर

5. सरदूलसिंह
6. अजायबसिंह

पिसरान श्री काका सिंह अकवाम कम्बो सिख निवासी चक 1 सी छोटी तह0 व जिला श्रीगंगानगर

7. हरभजनसिंह
8. महिमा सिंह

पिसरान श्री कुलदीप सिंह अकवाम कम्बो सिख निवासी चक 1 सी छोटी तह0 व जिला श्रीगंगानगर

9. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार(राजस्व) सादुलशहर
10. हरभजनसिंह पुत्र गुरनामसिंह निवासी चक 11 जैड़ तहसील श्रीगंगानगर
11. बलविन्द्र सिंह पुत्र गुरनामसहि निवासी चक 11 जैड तहसील श्रीगंगानगर

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित– अधिवक्ता श्री मोहनलाल छाबड़ा (वादीगण)
अधिवक्ता श्री सुखदेवसिंह (प्रतिवादीगण)

दिनांक 10.09.2020

–:: निर्णय ::–

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यानुसार तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 1 सी छोटी का मुरब्बा नम्बर 6 के 23.10 बीघा तथा मुरब्बा नम्बर 23 के 24.10 बीघा कृषि भूमि, जिसे आगे वाद में वादाधीन भूमि के नाम से सम्बोधित किया जावेगा, वादीगण के पिता श्री हरबंस सिंह तथा उनके भाई श्री गुरबचन सिंह पिता प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के नाम से बहिस्सा बराबर मुश्तरका राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संलग्न वाद पर है। वादीगण के पिता श्री हरबंस सिंह का देहान्त हो चुका है उनके देहान्त के पश्चात वादाधीन कृषि भूमि में से 1/2

Scanned with CamScanner

हिस्सा का विरास्तन ईन्तकाल वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में हो गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के पिता श्री गुरबचन सिंह का भी देहान्त हो चुका है। श्री गुरबचन सिंह के हिस्सा में वादाधीन कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा कृषि भूमि आती थी श्रीगुरबचन सिंह ने अपने जीवनकाल में ही अपने हिस्सा मुश्तरका में से 4.13 बीघा कृषि भूमि जरिये बैयनामा प्रतिवादी संख्या 5 व 6 को विक्रय कर दी तथा इसी प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के पिता स्वर्गीय श्री गुरबचन सिंह ने अपने जीवनकाल में ही वादाधीन कृषि भूमि में से अपने हिस्सा में से 3.13 बीघा प्रतिवादी संख्या 7 व 8 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा विक्रय कर दी। उक्त बेचान का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 8 के नाम से हो चुका है जिसका इन्द्राज प्रस्तुतकर्ता जमाबन्दी में अंकित है। **स्वर्गीय श्री गुरबचन सिंह के हिस्सा में कुल भूमि 48 बीघा में से 24 बीघा आती थी श्री गुरबचन सिंह ने अपनी शेष बची भूमि में से 3.08 बीघा कृषि भूमि जरिये बैयनामा रजिस्टर्ड अर्सा चार वर्ष पूर्व वादीगण संख्या 1, 4 व 5 को विक्रय कर दी। बैयनामा की प्रति संलग्न है।** उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद वादीगण संख्या 1, 4 व 5 के नाम से होना शेष है इसलिये घोषणा का वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। इस प्रकार स्वर्गीय श्री गुरबचन सिंह ने अपने हिस्सा की भूमि में से 1 1.14 बीघा कृषि भूमि का बेचान अपने जीवनकाल में ही विभिन्न बैयनामाजात से कर दिया था तथा शेष बची कृषि भूमि की वसीयत प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के नाम से कर दी। वसीयत के आधार पर स्वर्गीय श्री गुरबचन सिंह की शेष बची कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के नाम से हो गया। वसीयत के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 को 24 हिस्सा अर्थात 1.04 बीघा, प्रतिवादी संख्या 2 को 46 हिस्सा में से निस्फ हिस्सा अर्थात 1.03 बीघा, प्रतिवादी संख्या 3 को 46 हिस्सा में से निस्फ हिस्सा अर्थात 1.03 बीघा व प्रतिवादी संख्या 4 को 176 हिस्सा अर्थात 8.16 बीघा कृषि भूमि प्राप्त हुई तथा उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड में इसका अमल दरामद हुआ। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि अभी तक राजस्व रिकार्ड में मुश्तरका ही चली आ रही है जिसका विभाजन नहीं हुआ है। वादी संख्या 1, 4 व 5 के द्वारा स्वर्गीय श्री गुरबचन सिंह से जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज बैयनामा 3.08 बीघा कृषि भूमि खरीद कर रखी है जिसका राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद होना शेष है इसलिये वादीगण घोषणा का वाद प्रस्तुत करने के अधिकारी है। वादाधीन कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में संयुक्त रूप से दर्ज है तथा मौका पर काश्त भी संयुक्त रूप से होती रही है लेकिन परिवार के बढ़ जाने के कारण तथा आपसी पारिवारिक कलह के चलते अब वादीगण व प्रतिवादीगण का संयुक्त रूप से काश्त करना असंभव हो गया है परिवारों में बढ़ते तनाव को देखते हुये वादीगण अपनी कृषि भूमि प्रतिवादीगण से अलग करवाने के तथा जरिये न्यायालय अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर जमाबन्दी अलग बनवा पाने के तथा लगान अलग तैय करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4, जो कि अत्यधिक ही झगडालू किस्म के व्यक्ति है तथा अक्सर भूमि को लेकर विवाद खड़ा करते रहते है, बिना भूमि का विधिवत विभाजन करवाये अपने हिस्सा की भूमि विशेष मुरब्बा नम्बर व किला नम्बर से जबरन तथा विधि विरूद्ध तरीके से विक्रय करने पर उतारू है तथा अच्छी भूमि का कब्जा अधिक राशि प्राप्त करने के आशय से देने पर उतारू हैं। यदि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 बिना भूमि का विधिवत विभाजन करवाये विशेष किला नम्बर व विशेष मुरब्बा नम्बर से वादाधीन भूमि का विक्रय करने में कामयाब हो गये तो इससे आयन्दा मुकदमेबाजी बढेगी तथा वादीगण को क्षति होगी। इसलिये वादीगण प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के खिलाफ हुक्म इम्तनाई द्वामी का वाद प्रस्तुत करने के अधिकारी है। पारिवारिक कलह के चलते वादीगण ने कई मरतबा प्रतिवादीगण को निवेदन किया कि वे कानूनन तथा विधि सम्मत प्रकार से अच्छी से अच्छी तथा बुरी से बुरी भूमि का विभाजन करवाकर जमाबन्दी अलग से तैयार करवा लेवें साथ ही वादी सख्या 1, 4 व 5 द्वारा खरीद की गयी भूमि 3.08 बीघा वादीगण के नाम से दर्ज करवा लेवें तथा वादाधीन कृषि भूमि के विधिवत विभाजन से पूर्व विशेष

किला नम्बर व मुरब्बा नम्बर से भूमि का विक्रय न करें। प्रतिवादीगण इस पर पूर्व में आज कल कहकर टालते रहे तथा अन्ततः दिनांक 06.06.2002 को ऐसा करने से इन्कार कर दिया, बस यही बिनाए मुखासमत खिलाफ प्रतिवादीगण वादीगण को हासिल है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 द्वारा ऐलानिया धमकी भी दी गयी है कि वादीगण द्वारा कार्यवाही किये जाने पर वे वादाधीन कृषि भूमि में से अपने हिस्से की भूमि का बेचान विशेष किला नम्बर व मुरब्बा नम्बर से कर देंगे। इसलिये वाद के निस्तारण तक वादीगण प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की प्राप्त करने के अधिकारी है कि वे वाद के निस्तारण तक भूमि में से अपना हिस्सा विशेष किला नम्बर व मुरब्बा नम्बर से बेचान करने से निषेध रहें। वादीगण का प्रथम दृष्ट्या केस बाखूबी साबित है तथा सुविधा का सन्तुलन भी वादीगण के पक्ष में है। स्टेट ऑफ राजस्थान प्रतिवादी संख्या 9 को बतौर लैन्ड होल्डर वाद में पक्षकार बनाया गया है। माननीय न्यायालय में वाद के विचारधीन होने के दौरान प्रतिवादीगण संख्या 10 व 11 द्वारा वादाधीन कृषि भूमि को खरीद किया है। उक्त बेचान धारा 54 सम्पति अन्तरण अधिनियम से हिट होता है एवं शून्य है ऐसे तथाकथित बेचान से खरीददारान प्रतिवादीगण संख्या 1 0 व 11 को वादाधीन कृषि भूमि में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है।

लिहाजा वाद वादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावेः

क. डिक्री घोषणा बहक वादीगण संख्या 1, 4 व 5 इस अमर की सादिर फरमायी जावे कि उक्त वादीगण द्वारा गुरबचन सिंह से जरिये बैयनामा खरीद की गयी भूमि 3.08 बीघा का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद वादीगण संख्या 1, 4 व 5 के नाम से किया जावे।

ख. डिक्री विभाजन बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण वादाधीन कृषि भूमि की पारित की जाकर अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का विधिवत विभाजन हिस्सा अनुसार किया जाकर जमाबन्दी अलग अलग तैयार की जावे तथा लगान अलग अलग निर्धारित कर प्रत्येक काश्तकार को उसके हिस्सा की भूमि पर अधिष्ठित करवाया जावे।

ग. डिक्री हुक्म इम्तनाई द्वामी बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर फरमायी जावे कि विधिवत विभाजन से पूर्व कोई भी प्रतिवादीगण अपने हिस्सा की भूमि विशेष मुरब्बा नम्बर व किला नम्बर से विक्रय करने से बाज व ममनू रहें।

घ. अन्य कोई दादरसी फरीने इन्साफ मुफीद वादीगण हो अतः फरमायी जावे।

ङ. वाद का व्यय प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे ।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं०1 ता 4 की और से दिनांक 24.06.2002 को जवाबदावा पेश किया गया जिसमें अंकित कथनानुसार दावा की मद सं० 2 के कथन जिस तरह से अंक्ति किये गये है, स्वीकार नहीं है, कृषि भूमि चक 1 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरबा नम्बर 6 में 23.10 बीघा, मुरबा नम्बर 23 में 24.10 बीघा कुल 48 बीघा नहरी वादीगण के पिता श्रीहरबंस सिंह तथा प्रतिवादीगण सं०1 ता 4 के पिता श्री गुरबचन सिंह के नाम बहिस्सा बराबर मुश्तका खाता राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी, यह तथ्य स्वीकार है परन्तु काश्त की सुविधा वा बढ़ते परिवार के भविष्य को देखते हुए भविष्य में कोई विवाद पैदा ना हो इस बात को ध्यान में रखते हुए हरबंस सिंह व गुरबचनसिंह पिसरान श्री हुक्मसिंह जाति कम्बोज सिख ने वर्ष 1953 में आपसी सहमति से उक्त कृषि भूमि का घरु बंटवारा कर लिया था जिसके अनुसार वादीगण के पिता हरबंस सिंह को मुरबा नम्बर 23 के किला नम्बर 4 में 10 बिस्वा दक्षिणी हिस्सा, किला नम्बर 5–6–7, 13 से 18 सालम, 23 ता 25 सालम कुल 12.10 बीघा तथा मुरबा नम्बर

6 के किला नम्बर 1 में 14 बिस्वा, 2 में 14 बिस्वा ,किला नम्बर 9 ता 12 सालम, किला नम्बर 13 में 7 बिस्वा, किला नम्बर 18 ता 23 सालम कुल 11.15 बीघा प्राप्त हुई जिसका कब्जाकाश्त शुरू से ही हरबंस सिंह की होती आ रही है। इस प्रकार घरू बंटवारा के अनुसार प्रतिवादीगण सं० 1 ता 4 के पिता गुरबचनसिंह पुत्र हुक्मसिंह को मुरबा नम्बर 23 के किला नम्बर 1 ता 3 सालम, 4 में 10 बिस्वा, 8 ता 12 सालम, 19 ता 22 सालम कुल 12.10 बीघा तथा मुरबा नम्बर 6 के किला नम्बर 3 में 14 बिस्वा, 4 में 14 बिस्वा, 5 मे 14 बिस्वा, ता 8 सालम, 13 में 13 बिस्वा, 14 से 17 सालम, 24, 25 सालम कुल 11.15 बीघा कृषि भूमि प्राप्त हुई जो इसी अनुसार गुरबचन सिंह के कब्जाकाश्त में चली आ रही है। घरू बंटवारा के अनुसार पक्षकारान के पिता ने वर्ष 1953 से उक्त भूमि पर इसी अनुसार काबिज वा काश्त रहे हैं। काश्त संयुक्त रुप से ना होकर अलग अलग होती आ रही है। मुरबा नम्बर 23 के किला नम्बर 4 में 10 बिस्वा जो प्रतिवादीगण सं० 1 ता 4 के पास है, उसमे मुरबा नम्बर 22 के किला नम्बर 11 की 4.5 बिस्वा भूमि समायोजित की गयी है। इस प्रकार प्रतिवादीगण के पास किला नम्बर 4 में 14.5 बिस्वा कृषि भूमि है। किला नम्बर 4 प्रतिवादीगण के घर के बिल्कुल सामने है जिसमें उन्होंने वर्ष 1985 से ट्यूबवैल लगा रखा है तथा करीबन 10 वर्षों से गोबर गैस प्लांट लगाया हुआ है। 1953 में हुये घरु बंटवारा की लिखित हरबंस सिंह वा गुरबचन सिंह ने किलावाईज जरिये दस्तावेज बंटवारा नामा वा सहमति पत्र दिनांक 17–4–98 को करली है तथा इनके बीच दस्तावेज बंटवारानामा निष्पादित हो चुका है तथा उसके अनुसार ही पक्षकारान के नाम भूमि का इन्तकाल किलावाईज वा हिस्सावाईज दर्ज हो चुका है जिसका पूरा ज्ञान वादीगण को है। वादीगण दस्तावेज बंटवारानामा वासहमति पत्र दिनांक 17–4–98 में अंकित तथा से वाकिफ है वे इससे इन्कार नहीं कर सकते इनके खिलाफ साक्ष्य अधिनियम का सिद्धान्त इस्टोपल बाई कन्डेक्ट लागू होता है। वादीगण ने तथ्यों को छिपाकर प्रतिवादीगण को तंग परेशान करने के लिये यह फूठा दावा किया है। दावा की मद सं0 3 के कथन इस संशोधन के साथ स्वीकार है कि वादीगण के पिता हरबंस सिंह का देहान्त दस्तावेज बंटवारानामा वा सहमति पत्र दिनांक 7–4–98 के निष्पादन के बाद हुआ है जिनकी मृत्यु के बाद हरबंस सिंह के 112 हिस्सा कृषि भूमि का विरास्तन इन्तकाल बंटवारानामा दिनांक 17–4–98 के अनुसार हिस्सावाईज राजस्व रिकार्ड में हो गया है । प्रतिवादीगण सं० 1 ता 4 के पिता गुरबचन सिंह की मृत्यु दिनांक 31–3–02को हो गयी है। दावा की मद सं04 के कथन इस संशोधन के साथ स्वीकार है कि प्रतिवादीगण सं०1 ता 4 के पिता गुरबचन सिंह ने अपने जीवनकाल में अपने 112 हिस्सा की उक्त कृषि भूमि में से बंटवारानामा दिनांक 17–4–98 के अनुसार (जो मुश्तका खाता नहीं है) में से 4.13 बीघा यानि 93 हिस्सा सर्दूलसिंह, अजायबसिंह पिसरान श्री काका सिंह जटसिख को तथा 3.13 बीघा यानि 63 हिस्सा हरभजनसिंह ,महिमा सिंह पिसरान श्री कुलदीपसिंह जटसिख को जरिये रजि० दस्तावेज बयनामा बेचान करना स्वीकार है जिसका इन्तकाल नं0 236 दिनांक 20–5–01 केतागण के नाम से हो चुका है। दावा की मद सं0 5 के कथन इस संशोधन के साथ स्वीकार है कि गुरबचनसिंह ने मुरबा नम्बर 6 में अपनी शेष बची कृषि भूमि 3.08 बिघा जरिये रजि० दस्तावेज बैयनामा दिनांक 20–4–98 को जंगीरसिंह, दीरसिंह, इन्दरपालसिंह पिसरान श्रीहरभजनसिंह को बेचान कर दी जिसका अमल दरामद रिकार्ड में उनके नाम से नहीं हुआ है। यदि केतागण के नाम से उक्त भूमि का इन्तकाल कर दिया जावे तो प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नहीं है। इस प्रकार गुरबचन सिंह ने अपने जीवनकाल में मुरबा नम्बर 6 की 11–15 बीघा तमाम भूमि का बेचान दावा दायरी से पूर्व कर दिया है अब उसके पास मु०नं० 6 में कोई कृषि भूमि नहीं है। दावा की मद सं0 6 के कथन इस संशोधन के साथ स्वीकार है कि गुरबचनसिंह ने मुरबा नम्बर 23 की 12.05 बीघा कृषि भूमि जिसका विवरण बंटावा रानामा दिनांक 17–4–98 में दिया गया है, की वसीयत अपने जीवनकाल मे प्रतिवादीगण सं0 1ता 4 के नाम से करदी थी। गुरबचन सिंह की मृत्यू 31–3–02 के उपरान्त उक्त 12–05 बीघा कृषि भूमि का

Scanned with CamScanner

इन्तकाल वसीयत के आधार पर संरजीतसिंह को 24 हिस्सा यानि 1.04 बीघा, रणजीतसिंह को 46 हिस्सा में निरफ यानि 1.03 बीघा, सुरेन्द्रसिंह को 23 हिस्सा यानि 1.03 बीघा तथा मोहन सिंह को 176 हिस्सा यानि 8.16 बीघा कृषि भूमि प्राप्त हुई जिसका इन्तकाल नम्बर 248 दिनांक 5–6–2002 को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर अमलदरामद किया गया। दावा की मद सं० 7 के कथन असत्य होने के कारण स्वीकार नहीं है। उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में मुश्तर्का नहीं है उसका विभाजन हो चुका है इस मद का जवाब पूर्व में अंकित मदों में दिया जा चुका है जिसकी पुनावृति की आवश्यकता नहीं है। दावा की मद सं० 8 के कथन स्वीकार है यदि इस मद में अंकित कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद केतागण के नाम से कर दिया जावे तो प्रतिवादीगण सं०1 ता 4 को कोई ऐतराज नहीं है। उक्त कृषि भूमि जमाबन्दी सन् 2055 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में संयुक्त रुप से दर्ज नहीं है ना ही संयुक्त काश्त है बल्कि पक्षकारान के नाम से हिस्सा अनुसार व कब्जानुसार किलावाईज रिकार्ड में दर्ज है तथा शुरु से काश्त अलग होती आ रही है। हरबंससिंह वा गुरबचन सिंह ने दोनो परिवारों के हित, कल्याण व भविष्य को देखते हुए वर्ष 1953 मै उक्त कृषि भूमि का घरु बंटवारा कर किलावाईज कब्जा प्राप्त कर लिया था जिसकी विधिवत लिखित दिनांक 17–4–98 को की गयी और बंटवारानामा दिनांक 17–4–98 के अनुसार ही वे काबिज वा काश्त रहे है। यदि वादीगण बंटवारामामा दिनांक 17–4–98 के अनुसार प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 की कृषि भूमि मुरबा नम्बर 23 के 12.05 बीघा को अच्छी वा बुरी भूमि के हिसाब से प्राप्त करना चाहते है तो वह इसके बदले में इसी मुरबा की शेष 12.05 बीघा कृषि भूमि जिस पर वे काबिज वा काश्त है, प्रतिवादीगण सं०1 ता 4 को दे देये तथा प्रतिवादीगण सं०1 ता 4 की कृषि भूमि को प्राप्त कर सकते है इस हेतु उनको किला नम्बर 4 में लगे ट्यूबवेल वा गोबर गैसप्लांट की कीमत अलग से अदा करनी होगी। प्रतिवादीगण सं० 1ता 4 ने कभी भी वादीगण के साथ भूमि की बाबत कोई झगड़ा फसाद नहीं किया बल्कि उक्त कृषि भूमि का विधिवत विभाजन दस्तावेज बंटवारानामा दिनांक 17–4–98 के अनुसार हो चुका है जिसके अनुसार पक्षाकार उससे बाध्य है जिसका अमल दरामद भी पक्षकारान के पिता की मृत्यु के उपरान्त रिकार्ड में वादीगण वा प्रतिवादीगण के नाम हो चुका है। बंटवारानामा के अनुसार वादीगण वा प्रतिवादीगण सं०1 ता 4 उनके हिस्सा में आई भूमि के किला विशेष नम्बर पर काबिज व काश्त है वे विधिवत तरीके से विशेष किला नम्बर पर ना तो काबिज है और ना ही विधि तरीके से विक्रय करने पर उतारु है, अच्छी वा बूरी भूमि के अनुसार ही उक्त कृषि भूमि का बंटवारानामा दावा दायरी से पूर्व किया हुआ है जिसपर गुरबचनसिंह व हरबंस सिंह द्वारा अपनी अपनी सहमति दी गयी है। प्रतिवादीगण सं०1 ता 4 बंटवारा के अनुसार ही किला विशेष पर काबिज वा काश्त है तथा उसेक उपयोग व उपभोग में काई विधिवत रुकावट नहीं है। इससे वादीगण को कोई अपूर्णिय दाति नहीं हो रही है। प्रतिवादीगण सं० 1 ता 4 उक्त 12.05 बीघा कृषि भूमि को आपस में काश्त करने तथा एक दूसरे को बेचने में स्वतन्त्र है। अप्रार्थी सं० 1 ता 3 अपने हिस्सा की 3.10 बीघा कृषि भूमि काश्त की सुविधा से अपने भाई मोहनसिंह को देने में सक्षम है। वाद–पत्र की मद सं0 11 के कथन असत्य होने के कारण स्वीकार नहीं है। उक्त कृष्णि भूमि का अच्छी वा बुरी के हिसाब से दावा दायरी से पूर्व बंटवारा हो चुका है। पुनः बंटवारा कानूनन नहीं हो सकता। प्रतिवादीगण सं० 1 ता 4 अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करने में स्वतन्त्र है। दिनांक 6–6–2002 अथवा अन्य किसी तारीख को वादीगण ने प्रतिवादीगण को विभाजन करने हेतु नहीं कहा ना ही उनके खिलाफ कोई बिनाय मुखासमत हासिल है ना ही उन्होने भी धमकी दी है। ऐसी स्थिति में वादीगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

सुविधा का सन्तुलन वा प्रथम दृष्ट्या मामला वादीगण के पक्ष में नहीं है क्यों कि भूमि का पूर्व में ही बंटवारा हो चुका है। –अतिरिक्त कथन – हरबंस सिंह व गुरबचन सिंह 'पि० श्रीहुक्मसिंह कम्बोजसिख ने उक्त कृषि भूमि का घरु बंटवारानामा 1953 में करके किलावाईज कब्जा प्राप्त कर लिया तथा उसी के अनुसार काश्त होती

Scanned with CamScanner

आ रही है। बंटवारा की लिखित विधिवत रुप से 17–4–98 को की गयी। कानूनन जब एक बार भूमि का बंटवारा हो गया है तो पुनः उस कृषि भूमि का बंटवारा पक्षकारान के बीच नहीं हो सकता। बंटवारानामा दिनांक 17–4–98 से पक्षकारान इन्कार नहीं कर सकते व उससे बाध्य है। इसलिये वादीगण के विरुद्ध इस्टोपल बाई कन्डेक्ट का सिद्धान्त लागू होता है। प्रतिवादीगण 1ता 4 को दावा मे चाहा गया अनुतोष भी स्वीकार नहीं है। अतः जवाबदावा प्रस्तुत करके निवेदन है कि दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण सं०1 ता 4 मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 की ओर से दिनांक 30.09.2002 को जवाब दावा पेश किया गया जिसमे अंकित तथ्यानुसार दावा की मद संख्या 4 के कथन इस संशोधन के साथ स्वीकार हैं कि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के पिता श्री गुरबचनसिंह पुत्र श्री हुकमसिंह के हिस्सा में विवादग्रस्त कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा की जो कृषि भूमि आती थी, जिस पर वह काबिज था तथा जिसका कोई विवाद नहीं था, उसमें से उसने अपने जीवनकाल में अपने हिस्सा मुश्तर्का खाता में से 40 हिस्सा यानि 2 बीघा नहरी बहक प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 सरदूलसिंह, अजायबसिंह पिसरान श्री काकासिंह जाति जटसिख बहिस्सा बराबर व 20 हिस्सा यानि 1 बीघा नहरी बहक प्रतिवादी संख्या 8 महमासिंह पुत्र श्री कुलदीपसिंह जाति जटसिख निवासीयान चक 1 सी छोटी तहसील श्रीगंगानगर को जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज बैयनामा दिनांक 12.07.2003 को बेचान कर दी तथा 20 हिस्सा यानि 1 बीघा नहरी बहक प्रतिवादी संख्या 7 हरभजनसिंह पुत्र श्री कुलदीपसिंह को तथा 33 हिस्सा यानि 1 बीघा 13 बिस्वा नहरी बहक प्रतिवादीगण संख्या 7 व 8 हरभजनसिंह, महमासिंह पिसरान श्री कुलदीपसिंह जाति जटसिख को बहिस्सा बराबर व 53 हिस्सा यानि 2 बीघा 13 बिस्वा नहरी बहक प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 सरदूलसिंह, अजायबसिंह पिसरान श्री काकासिंह, जाति जटसिख निवासीयान चक 1 सी छोटी तहसील श्रीगंगानगर को दिनांक 19–01–2001 को बैय कर दी। कुल खरीदशुदा कृषि भूमि 8 बीघा 6 बिस्वा नहरी के प्रतिवादीगण संख्या 5 से 8 खातेदार मालिक हैं, उस पर काबिज व काश्त हैं। इस बाबत किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। रजिस्ट्री के वक्त 8 बीघा 6 बिस्वा कृषि भूमि का कब्जा बेचानकर्ता श्री गुरबचनसिंह के पास था और उसका कोई विवाद उक्त कृषि भूमि की बाबत नहीं था। उक्त खरीदशुदा 8 बीघा 6 बिस्वा कषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद प्रतिवादीगण संख्या 5 से 8 के नाम हो चुका है, जिसका अब भी कोई विवाद नहीं है। फोटोप्रतियां बैयनामा संलग्न है। दावा की मद संख्या 5 के कथन वादीगण संख्या 1, 4 व 5 तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 से सम्बन्धित हैं। जवाब की आवश्यकता नहीं है। विवादग्रस्त कृषि भूमि जमाबन्दी संवत् 2055 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में संयुक्त रूप से दर्ज नहीं है, ना ही संयुक्त काश्त है। बल्कि पक्षकारान के नाम से हिस्सा व कब्जा अनुसार रिकार्ड में दर्ज है, जिस पर वे काबिज व काश्त हैं। काश्त अलग–अलग है। प्रतिवादीगण संख्या 5 से 8 द्वारा खरीद की गई कृषि भूमि 8 बीघा 6 बिस्वा का खातेदारी इन्तकाल संख्या 236 दिनांक 20–05–2001 उनके नाम से दर्ज गजस्व रिकार्ड हो चुका है, जिस बाबत अब कोई विवाद नहीं है। प्रतिवादीगण संख्या 5 से 8 द्वारा 8 बीघा 6 बिस्वा कृषि भूमि जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज बैयनामा गुरबचनसिंह से, जिसका विवादग्रस्त कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा था तथा जिस पर वह काबिज व काश्त था, मुश्तर्का खाता में से खरीद की हुई है। जिसका कोई विवाद नहीं है, ना ही वादीगण ने कभी प्रतिवादीगण संख्या 5 से 8 को कृषि भूमि का विभाजन करवाकर अलग से जमाबन्दी तैयार करवा लेने को कहा। शेष कथन प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 से सम्बन्धित है। दावा की मद संख्या 12 के कथन स्वीकार नहीं है। सुविधा का सन्तुलन व प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में नहीं है। प्रतिवादीगण संख्या 5 से 8 द्वारा मुश्तर्का खाता की विवादग्रस्त कृषि भूमि में से 8 बीघा 6 बिस्वा कृषि भूमि खरीद की हुई है, जिस पर वह काबिज व काश्त है। अतः जवाब की आवश्यकता नहीं है। अतः जवाब दावा प्रतिवादीगण 5 से 8 की ओर से

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण संख्या 5 से 8 मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

पक्षकारान के मध्य विवाद के निस्तारण हेतु निम्नलिखित विवाद्यक कायम किये गये :–

1. आया आराजी जीर बहस जिस का विवरण वाद पत्र की मद संख्या 2 में अंकित है, का घरू बंटवारा वर्ष 1953 में हरबंससिंह व गुरबचनदसिंह के मध्य हो चुका है तथा इस की लिखित 17.04.1998(सतारह अप्रेल सन् उन्नीस सौ अठानये ई0) को हुई है तो इस का वाद पर क्या असर है?
2. अनुतोष

वीरसिंह पुत्र स्वर्गीय श्री हरबंस सिंह द्वारा दिनांक 06.09.2013 को साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थी हरभजन सिंह व बलविन्द्र सिंह द्वारा जरिए अधिवक्ता दिनांक 15.12.2003 को प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया जिसे स्वीकार कर दिनांक 20.03.2006 को प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 10 व 11 के रूप में पक्षकार बनाया गया।

वकील उभयक्ष को सुनने के पश्चात् एवम् उभयपक्ष के निवेदन पर दिनांक 09.12.2014 को प्रकरण में प्रार्थमिक डिक्री जाकर कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये।

प्रकरण में दिनांक 18.05.2015 को तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर दोनों पक्षों के सुयोग्य अभिभाषकगणों की बहस सुन एवम् बहस के दौरान उभय पक्षों के सुयोग्य अभिभाषकगणों ने तर्क दिया कि प्राप्त प्रस्ताव पर उन्हें कोई एतराज नहीं हैं अतः फाईनल डिक्री जारी कर दी जावें, दिनांक 05.06.2015 को निर्णय पारित किया गया।

प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा निर्णय दिनांक 05.06.2015 के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के अपील प्रस्तुत की गई। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंटस द्वारा राजीनामा पेश किया गया जिस पर अपील स्वीकार कर राजीनामा इस न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया कि "अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त नहीं हुई है। अतः राजीनामा अधी. न्यायालय को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि अधी. न्यायालय राजीनामा अनुसार डिक्री पारित करे"

वादीगण एवं प्रतिवादीगण समस्त द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के निर्देशानुसार दिनांक 10.01.2018 को राजीनामा पेश किया जिसे तस्दीक किया गया।

बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील उभयपक्ष एवं पक्षकान द्वारा मुताबिक राजीनामा वाद को डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। दस्तावेज बँटवारानामा दिनांक 17.04.1998 की प्रमाणित प्रति, दस्जावेज मुख्तयारनामा आम दिनांक 24.05.2002 की प्रमाणित प्रति, प्रमाणित फोटो प्रति बैयनामा गुरबचनसिंह बहक सरदूलसिुह, अजायबसिंह दिनांक 12.07.2000, प्रमाणित फोटो प्रति बैयनामा श्री गुरबचनसिंह बहक हभजनसिंह, महिमा सिंह पेश की। वादीगण द्वारा वाद के समर्थन में जमाबंदी सम्वत् 2067–2070 गांव 1 सी छोटी, पटवार हल्का 3 सी छोटी, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रामनगन खाता संख्या 26/22 की प्रमाणित प्रति पेश की। वादीगण द्वारा प्रस्तुत गुरबचनसिंह, हरबंससिंह पिसरान हुकमसिंह की जमाबंदी सम्वत् 2055 ग्राम 1सी छोटी, पटवारय हल्का 3 सी छोटी भू–अभिलेख निरीक्षक रामनगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर खाता संख्या 16/13 पेश की। उक्त जमाबंदी के अवलोकन से भूमि का विरास्तन होना सिद्ध होता है।

Scanned with CamScanner

–:: आदेश ::–

पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण को निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है :–

(i) **मोहन सिंह पुत्र स्व0 श्री गुरबचन सिंह (प्रतिवादी संख्या 4) के हिस्सा में आया रकबा :–**

(A) चक 1–सी छोटी, खाता संख्या 26/22, मुरब्बा नम्बर 23 का किला नम्बर 1, 2, 3 (प्रत्येक 0.228 नहरी, 0.025 खाला), 4/1 (0.165 नहरी, 0.018 खाला), 8 (0.253 नहरी), 9 (0.101 नहरी), 10, 11, 20 (प्रत्येक 0.253 नहरी), 21 (0.228 नहरी), कुल 2.283 हैक्टेयर (2.190 हैक्टेयर नहरी, 0.093 हैक्टेयर खाला) (9 बीघा 0.5 बिस्वा)। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 4 ने खाता संख्या 26/22 में से अपना हिस्सा 2.226 हैक्टेयर व राजीनामा अनुसार अपने नाम खाता संख्या 19/21 में दर्ज 0.057 हैक्टेयर रकबा शामिल करके खाता संख्या 26/22 के मुरब्बा नम्बर 23 में कुल 2.283 हैक्टेयर (2.226 + 0.057) भूमि प्राप्त कर ली है। इसी अनुसरण में प्रतिवादी संख्या 4 मोहन सिंह के नाम से खाता संख्या 19/21 में दर्ज 0.057 हैक्टेयर कृषि भूमि वादीगण संख्या 1 ता 7 क्रमशः जंगीर सिंह, मनजीत सिंह, महेन्द्र सिंह, वीर सिंह, छिन्द्रपाल सिंह, जीत सिंह पुत्रगण श्री हरबंस सिंह व चरण कौर पुत्री श्री हरबंस सिंह के नाम से बहिस्सा बराबर बराबर दर्ज किया जावे।

(ii) **जंगीर सिंह, मनजीत सिंह, महेन्द्र सिंह, वीर सिंह, छिन्द्रपाल सिंह, जीत सिंह पुत्रगण श्री हरबंस सिंह व चरण कौर पुत्री श्री हरबंस सिंह (वादीगण संख्या 1 ता 7) के हिस्सा में बहिस्सा बराबर–बराबर आया रकबा :–**

(A) चक 1–सी छोटी, खाता संख्या 26/22, मुरब्बा नम्बर 23 का किला नम्बर 4/2 (0.063 नहरी, 0.007 खाला), 5 (0.228 नहरी, 0.025 खाला), 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (प्रत्येक 0.253 नहरी), 23, 24, 25 (प्रत्येक 0.228 नहरी), कुल 3.031 हैक्टेयर (2.999 हैक्टेयर नहरी, 0.032 हैक्टेयर खाला) (11 बीघा 19.5 बिस्वा)।

(B) चक 1–सी छोटी, खाता संख्या 26/22, मुरब्बा नम्बर 6 के किला नम्बर 1, 2, 3 (प्रत्येक 0.177 नहरी), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20 (प्रत्येक 0.253 नहरी), 21 (0.165 नहरी), कुल 2.973 हैक्टेयर नहरी (11 बीघा 15 बिस्वा)।

(C) चक 1–सी छोटी, खाता संख्या 19/21, मुरब्बा नम्बर 10 व 22 की कुल 1.594 हैक्टेयर में से 0.057 हैक्टेयर नहरी (4.5 बिस्वा)।
इसके अतिरिक्त जंगीर सिंह, वीर सिंह व छिन्द्रपालसिंह (वादीगण संख्या 1, 4, 5) ने जरिये बैयनामा दिनांक 18.04.1998 पंजीबद्ध दिनांक 21.04.1998 को प्रतिवादी संख्या–4 मोहन सिंह के पिता गुरबचन सिंह पुत्र हुक्म सिंह से चक 1–सी छोटी के मुरब्बा नम्बर 6 में 68 हिस्सा यानि 3 बीघा 8 बिस्वा कृषि भूमि खरीद की थी जिसका इन्तकाल वादीगण संख्या 1, 4, 5 के नाम से नहीं हुआ। बैयनामा अनुसार रकबा वादीगण संख्या 1, 4, 5 अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी होने के कारण खाता संख्या 26/22 का 68 हिस्सा अर्थात् 3 बीघा 8 बिस्वा रकबा खरीददारान के रकबा में शामिल किया जा रहा है।

(D) **बैयनामा दिनांक 21.04.1998 के अनुसार जंगीर सिंह, वीर सिंह व छिन्द्रपाल सिंह पुत्रगण श्री हरबंस सिंह (वादीगण संख्या 1, 4, 5) के हिस्सा में बहिस्सा बराबर–बराबर आया रकबा :–**

Scanned with CamScanner

चक 1–सी छोटी, खाता संख्या 26/22, मुरब्बा नम्बर 6 के किला नम्बर 21 (0.088 नहरी), 22, 23, 24 (प्रत्येक 0.253 नहरी), 17 (0.013 नहरी), कुल 0.860 हैक्टेयर नहरी (3 बीघा 8 बिस्वा)।

(iii) सरदूल सिंह, अजायब सिंह पुत्रगण श्री काका सिंह (प्रतिवादीगण संख्या 5, 6) के हिस्सा में बहिस्सा बराबर–बराबर आया रकबाः–

(A) चक 1–सी छोटी, खाता संख्या 26/22, मुरब्बा नम्बर 6, किला नम्बर 4 (0.177 नहरी), 7, 14, 25 (प्रत्येक 0.253 नहरी), 17 (0.240 नहरी), कुल 1.176 हैक्टेयर नहरी (4 बीघा 13 बिस्वा)।

(iv) हरभजन सिंह, महिमा सिंह पुत्रगण श्री कुलदीप सिंह (प्रतिवादीगण संख्या 7, 8) के हिस्सा में आया रकबाः–

(A) चक 1–सी छोटी, खाता संख्या 26/22, मुरब्बा नम्बर 6, किला नम्बर 5 (0.177 नहरी), 6, 15, 16 (प्रत्येक 0.253 नहरी), कुल 0.936 हैक्टेयर नहरी (3 बीघा 14 बिस्वा)।

इसके अलावा हरभजन सिंह, बलविन्द्र सिंह पुत्रगण श्री गुरनाम सिंह (प्रतिवादीगण संख्या 10, 11) ने सरजीत सिंह, रणधीर सिंह, सुरेन्द्र सिंह पुत्रगण श्री गुरबचन सिंह (प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 3) से चक 1–सी छोटी के मुरब्बा नम्बर 6 व 23 में स्थित उनका 70 हिस्सा यानि 3 बीघा 10 बिस्वा रकबा वर्ष 2003 में खरीद लिया था। बैयनामा दिनांक 16.01.2003 के अनुसार हरभजन सिंह (प्रतिवादी संख्या 10) ने सरजीत सिंह, रणधीर सिंह, सुरेन्द्र सिंह पुत्रगण श्री गुरबचन सिंह से 30 हिस्सा, यानि 1 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि खरीद की थी जिसका इन्तकाल हरभजन सिंह के नाम से नहीं हुआ। इसी प्रकार बैयनामा दिनांक 16.01.2013 के अनुसार बलविन्द्र सिंह (प्रतिवादी संख्या 11) ने सुरजीत सिंह, रणधीर सिंह सुरेन्द्र सिंह पुत्रगण श्री गुरबचन सिंह से 40 हिस्सा, यानि 2 बीघा कृषि भूमि खरीद की थी जिसका इन्तकाल बलविन्द्र सिंह के नाम से नहीं हुआ। बैयनामा अनुसार रकबा प्रतिवादीगण संख्या 10, 11 अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। हरभजन सिंह, बलविन्द्र सिंह पुत्रगण श्री गुरनाम सिंह मुरब्बा नम्बर 23 में अपना रकबा अपने अपने हिस्सा अनुसार संयुक्त ही रखना चाहते हैं।

(v) दोनों बैयनामा दिनांक 16.01.2003 के अनुसार हरभजन सिंह, बलविन्द्र सिंह पुत्रगण श्री गुरनाम सिंह (प्रतिवादीगण संख्या 10, 11) के हिस्सा में आया रकबा (बैयनामा अनुसार हिस्सा 1 बीघा 10 बिस्वा रकबा हरभजन सिंह का व 2 बीघा रकबा बलविन्द्र सिंह का):–

(A) चक 1–सी छोटी, खाता संख्या 26/22, मुरब्बा नम्बर 23, किला नम्बर 9/2 (0.152 नहरी), 12 (0.253 नहरी), 19 (0.253 नहरी), 22 (0.228 नहरी), कुल 0.886 हैक्टेयर नहरी (3 बीघा 10 बिस्वा) में से हरभजन सिंह पुत्र श्री गुरनाम सिंह का हिस्सा 0.380 हैक्टेयर नहरी एवं बलविन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरनाम सिंह का हिस्सा 0.506 हैक्टेयर नहरी का खातेदार घोषित किया जाता है। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म

Scanned with CamScanner

(यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 10.09.2020 को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन् सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner